न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 02/2023

उनवान

1. शान्ति देवी पुत्री स्व. कानाराम पत्नी स्व. शंकरलाल, जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर हाल निवासी बोडी कोठी, ग्राम हाडोता, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ।
2. कमला देवी पुत्री स्व. कानाराम पत्नी स्व. मुरलीधर, जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर हाल निवासी रेलवाली ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. प्रेम देवी पुत्री स्व. कानाराम पत्नी किशनलाल, जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर हाल निवासी माधाणी पेट्रोल पम्प के सामने, रींगस रोड, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

—/अपीलान्टस

बनाम

1. छीतरमल पुत्र स्व. कानाराम, जाति माली, निवासी सौ बीघा वाली कोठी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत मोरीजा, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स—

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 जो कि ग्राम पंचायत मोरीजा जरिये सरपंच द्वारा खोला गया।

निर्णय दिनांक 12.10.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 1 ता 3 जो कि पिता कानाराम की वारिसान है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी कानाराम का पुत्र है। खातेदार कानाराम पुत्र सेडू, जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा का स्वर्गवास होने के बाद मृतक कानाराम के वारिसान चार पुत्रियां शान्ति देवी, प्रेम देवी व कमला देवी तथा स्व. गीता देवी तथा एक पुत्र छीतरमल है तथा स्व. गीता देवी पुत्री कानाराम के वारिसान संगीता देवी पुत्री स्व. गीता देवी पत्नी सीताराम, सुनील कुमार पुत्र स्व. गीता देवी पत्नी सीताराम, सीमा देवी पुत्री स्व. गीता देवी पत्नी सीताराम, समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के नाम खातेदारी दर्ज हुई, जिसका विरासत नामान्तकरण संख्या 2565 दिनांक 06.07.2022 को भूमि खाता संख्या 63 में खसरा नम्बर 169, 170, 170/4688, 171, 172, 173, 174 व 175 कुल किता 8 का कुल रकबा 2.04 हैक्टेयर की खातेदारी काना पुत्र सेडू के नाम सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 168 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर गै.मु. चाह में हिस्सा 1/3 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा था। अपीलान्ट के हक में उक्त भूमियों की खातेदारी खुलने के बाद अपीलान्ट ने उपपंजीयक चौमूँ में एक रजिस्टर्ड त्याग पत्र दिनांक 12.07.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छीतरमल पुत्र कानाराम के हक में अपने सगे भाई व मामा के हक में करवा दिया गया था, जिस त्याग पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ग्राम पंचायत मोरीजा द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छीतरमल पुत्र कानाराम के हक में दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी। अपीलान्ट्स ने उक्त त्याग पत्र दिनांक 12.07.2022 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूँ, जिला जयपुर के यहां चुनौती दी गई जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त मुकदमें में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य राजीनामा होने पर राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ तथा राजीनामा अनुसार वाद [illegible] कर दिया गया तथा उक्त त्याग पत्र दिनांक 12.07.2022 को अपीलान्ट की [illegible] किया गया जिससे अपीलान्ट्स उक्त त्याग पत्र निरस्त होने से उक्त त्याग पत्र के आधार पर खोला [illegible] नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 के विरूद्ध अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रही है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:32:01 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 2[illegible].2022 नामान्तकरण संख्या 2575 ग्राम पंचायत मोरीजा द्वारा विधि विरूद्ध गैर कानूनी व बिना अपीलान्ट की सुनवाई किये ही त्याग पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में खोला गया है जो नामान्तकरण कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ग्राम पंचायत मोरीजा द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को खोलने से पूर्व कानूनन अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

किया जाना आवश्यकता था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से आपसी मिलीभगत कर अपीलान्ट के पिता कानाराम पुत्र सेडूराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमियां खाता संख्या 96 के कुल खसरा किता 8 का कुल रकबा 2.04 हैक्टेयर में हिस्सा 3/5 भाग व खाता संख्या 96 के खसरा किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर गै.मु. चाह का हिस्सा 3 / 15 भाग का उपपंजीयक चौमूँ के दिनांक 12.07.2022 को त्याग पत्र तस्दीक करवा दिया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 का अवैध व गैर कानूनी रूप से दिनांक 27.07.2022 को अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया गया जो अपीलाधीन नामान्तकरण कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अपीलान्ट को उक्त त्याग पत्र दिनांक 12.07.2022 की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब अपीलान्ट दिनांक 11.08.2022 को रक्षाबंधन पर अपने सगे भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के राखी बांधने लगी तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राखी बंधवाने से साफ इन्कार कर दिया व कहा कि अब तुम्हारा कोई लेना–देना नही है। उक्त भूमियों में तुम्हारा हक हिस्सा मैंने अपने हक में त्याग पत्र करवाकर खातेदारी खुलवा ली है अब तुम इस पुश्तैनी भूमि का कब्जा छोड़कर चली जाओ जिस धमकी से अपीलान्ट्स ने उक्त कूटरचित व साजिशी तरीके से बनाये गये दस्तावेज हक त्याग पत्र की जानकारी हुई तथा अपीलान्ट ने उक्त हक त्याग पत्र की नकल दिनांक 12.09.2022 को प्राप्त की एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की साजिशी कार्यवाही का अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी होने पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) चौमूँ, जिला जयपुर के समक्ष वाद संख्या 62/2022 बउनवानी शान्ति देवी वगै, बनाम छीतरमल वगै. वाद बाबत उद्घोषणा हक त्याग पत्र निरस्त करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिस बाद पत्र में दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत चौमूँ में राजीनामा पेश किया गया तथा राजीनामा तस्दीक कर मुताबिक राजीनामा वादीगण अपीलान्ट की हद तक हक त्याग पत्र को निरस्त किया गया था। लेकिन हक त्याग पत्र के आधार पर खोला गया अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को निरस्त नही किया गया, जिससे अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को कानूनन निरस्त करवाया जाना आवश्यक हुआ है एवं अपीलान्ट को उक्त अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 28.04.2023 को प्रार्थना पत्र पेश किया व दिनांक 28.04.2023 को नकल प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद पेश है।

4. यह कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के खातेदारी दर्ज करने हेतु पेश किया जिस प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने पटवारी हल्का मोरीजा–बी से रिपोर्ट ली गई जो रिपोर्ट दिनांक 05.04.2023 को पेश की गई एवं उक्त रिपोर्ट के आधार पर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 को निरस्त नही कर पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज करने से दिनांक 27.04.2023 को इन्कार करने से अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि अपीलान्ट्स जो ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिलाये है जिनको किसी भी प्रकार के दस्तावेज के संचालन की जानकारी नही है। अपीलान्ट्स ने हक त्याग पत्र को सिविल न्यायालय से दिनांक 12.11.2022 को निरस्त करवाया जा चुका है। जिससे अपीलान्ट्स ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को भी अब निष्प्रभावी होने से जो मूल हक त्याग पत्र न्यायालय से निरस्त किया जा चुका है तो कानूनन अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को भी अपीलान्ट्स की हद तक कानूनन निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:32:01 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 जो कि अब कानूनन निष्प्रभावी हो चुका है तथा उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स के नाम पूर्व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। हस्तगत अपील में न्यायालय का यह अभिमत है कि अपील मियाद अन्तर्गत है तथा अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इस आधार पर किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंकन शून्य व बेअसर घोषित किए जाते है। इस आश्य का अंकन जमाबंदी मे हो। नामान्तकरण संख्या 2575 दिनांक 27.07.2022 रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण दर्ज कर मृतक कानाराम पुत्र सेडू, के विधिक वारिसान की जांच कर हितबद्ध पक्षकारों को विधि द्ववारा स्थापित प्रकिया अपनाते हुए प्रकरण का 30 दिवस में निरस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश जाखड
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:52:01 IST
Reason: SelfAttested